न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/2018/RLR/012

लखसिंह पुत्र रूपसिंह राजपूत
निवासी खारिया, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थी

ब

ना

म

1. जिला कलेक्टर, जोधपुर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत खारिया, तहसील फलोदी

-----प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश जिला कलेक्टर जोधपुर दिनांक 14 फरवरी 2017 कमांक प/12(3)राजस्थान/आवण्टन/17/1052 ,

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री किशनाराम विश्नोई
प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी
प्रत्यर्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2019

अपीलार्थी ने विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा ग्राम खारिया के खसरा संख्या 224 रकबा 232 बीघा 16 बिस्वा बारानी तृतीय में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत खारिया के भवन निर्माण हेतु तथा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अन्य सरकारी कार्यालयों के निर्माण हेतु आरक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करते हुए पारित आदेश कमांक प.12(3-)राज/आवण्टन/17/1052 दिनांक 14 फरवरी 2017 के खिलाफ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 फरवरी 2018 को पेश की है।

अपील के साथ अपीलाण्ट ने धारा 96 सीपीसी के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर स्वयं को अपीलाधीन आदेश से पीडित पक्षकार होना जाहिर करते हुए अपील पेश करने की अनुमति चाही। साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील-मीमों में वर्णित विन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 224 वक्त सेटलमेण्ट और उससे पूर्व वक्त जागीरी से ही गोचर भूमि थी, ग्रामवासियों की जानकारी में यह भूमि करणीमाता के ओरण के रूप में जानी जाती थी। जिसे विना किसी अधिकार और आधार के जरिये म्युटेशन संख्या 95 गोचर की वजाय सिवाय चक दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त भूमि जागीरदार खींवसिंह, कानसिंह के नाम दर्ज थी, कानसिंह द्वारा संवत 2012 से 2026 तक नियमानुसार उक्त भूमि का लगान अदा किया गया था और राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार दर्ज थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का उपयोग वर्तमान में भी ओरण के तौर पर होता है तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा करणनाडा के नाम से नाडी में जल स्रोतहेतु 13.25 लाख रूपये व्यय किये है। पटवारी द्वारा गलत तथ्यों के साथ रिपोर्ट पेश की गयी है। अपीलाण्ट एक ग्रामीण पशुपालक व काश्तकार तथा प्रतिकूलरूपेण प्रभावित एवं हितवद्ध पक्षकार है, जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व निर्धारित औपचारिकताएँ भी पूर्ण नहीं की गयी, यथा न तो ग्राम पंचायत में कोई इस संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, न ही वार्ड पंच से कोई राय ली गयी, न ही आवण्टन/सेट-अपार्ट किये जाने बाबत कोई आवेदन पेश हुआ। अतः अपील प्रस्तुत करने बाबत अपीलाण्ट को स्वीकृति प्रदान करते हुए अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

जवाब में प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पो. संख्या चार के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि इस मामले में अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रकार से हितबद्ध पक्षकार नहीं है और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय अथवा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत भवन के लिए 2 बीघा 10 बिस्वा एवं अन्य सरकारी कार्यालय-भवनों के लिये 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आरक्षण अपीलाधीन आदेश के जरिये खसरा संख्या 224 किस्म बारानी तृतीय भूमि में से किया गया जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ है। जिसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अपीलाण्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य नहीं पाया जाता है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व रिकार्ड में सिवायचक विवादित आराजी खसरा संख्या 224 वर्तमान में गोचर या आगोर की भूमि है अथवा पूर्व में कभी रही हो। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट वादग्रस्त राजकीय आराजी में हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित व्यक्ति नहीं होने के कारण यह अपील प्रस्तुत करने हेतु विधिक रूप से सक्षम पक्षकार ही नहीं पाया जाता है। अपीलाण्ट ने अपने इस कथन के संबंध में कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा करणनाडा के नाम से नाडी में जल स्रोतहेतु 13.25 लाख रूपये व्यय किये है, जिस दस्तावेज की छायाप्रति पेश की है, उसके अवलोकन से संशय से परे दृढतापूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त कार्य विवादित खसरा संख्या 224 की अपीलाधीन आदेश में आवण्टित भूमि पर ही किया गया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 फरवरी 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 फरवरी 2018 को पेश की गयी है, जो निश्चय ही निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद काफी विलम्ब से पेश की गयी है। यही नहीं, अपील के गुणावगुण पर भी प्रकरण का सिंहावलोकन करने पर अपीलाण्ट के पक्ष में कोई सार नजर नहीं आता है। लिहाजा उसका धारा 96 सीपीसी का आवेदन खारिज किया जाता है।

अतः इन उपर्युक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अनुमत नहीं किये जाने एवं मयाद बाहर होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 फरवरी 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/19

(नखतदान बाहरठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर